भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2710
दिनांक 05 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

तेलंगाना में पशुपालन योजनाएँ

2710. श्री कुंदुरु रघुवीरः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा राज्य-वार, विशेषकर तेलंगाना में नलगोण्डा में कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं में से प्रत्येक के अंतर्गत राज्य-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि कितनी है;

(ग) राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम जैसी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत तेलंगाना सहित नलगोंडा में राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों, चारा बैंकों और पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के माध्यम से कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नलगोंडा जैसे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में पशुपालन सेवाओं के विस्तार के लिए भविष्य की रूपरेखा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों के प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग तेलंगाना के नलगोंडा जिले सहित पूरे देश में निम्नलिखित केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

(i) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM): आरजीएम को देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए निम्नलिखित प्रमुख घटकों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है:

(i) 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान कवरेज वाले जिलों में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ;
(ii) बोवाइन पशुओं के त्वरित आनुवंशिक उन्नयन के लिए आईवीएफ तकनीक और सेक्स-सॉर्टेड सीमन का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;
(iii किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAITRIs) को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है और
(iv) नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना के घटक के अंतर्गत, उच्च आनुवंशिक गुणता वाले पशुओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उद्यमियों को 50% पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है।

(ii) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD): एनपीडीडी को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया जाता है:

(i) एनपीडीडी का घटक 'क' राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/एसएचजी/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तायुक्त दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं हेतु अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।

(ii) एनपीडीडी योजना के घटक 'ख' "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करना और उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करना है।

(iii) डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO): राज्य डेयरी सहकारी संघों को गंभीर रूप से प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन (नियमित 2% और शीघ्र भुगतान पर अतिरिक्त 2%) प्रदान करके सहायता करना।

(iv) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF): एएचआईडीएफ पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण और विविधीकरण अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है, जिससे असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाजार तक अधिक पहुंच मिलती है।

(v) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM): उद्यमिता विकास के लिए व्यक्ति, एफपीओ (FPOs), एसएचजी (SHGs), धारा 8 कंपनियों को और नस्ल सुधार अवसंरचना के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करके पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर पालन और चारा में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर सघन ध्यान केंद्रित करना।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन - उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन (NLM-EDP) के अंतर्गत, देश भर में कुल 3,853 आवेदन अनुमोदित किए गए हैं, जिनसे 41,000 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित हुआ है और 82,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। अनुमोदित परियोजनाओं की कुल लागत 2,680.75 करोड़ रुपये है, जिसमें 1,005.34 करोड़ रुपये की ऋण राशि और 1,235.79 करोड़ रुपये की अनुमोदित सब्सिडी शामिल है। नलगोंडा जिले में, 72 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है, जिससे 292 रोजगार सृजित हुए हैं और 331 किसान लाभान्वित हुए हैं । इनमें 9 बकरी, 11 पोल्ट्री और 52 भेड़ परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत 60.22 करोड़ रुपये है और अनुमोदित सब्सिडी 29.84 करोड़ रुपये की है।

(vi) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP): इसका उद्देश्य पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशुचिकित्सा सेवाओं की क्षमता का निर्माण, रोग निगरानी और पशुचिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत पशु औषधि का एक नया घटक जोड़ा गया है ताकि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से देश भर में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा औषधि उपलब्ध कराई जा सके। इससे सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक औषधियों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा।

इनमें से प्रत्येक योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधियों का राज्यवार विवरण अनुबंध-1 क से 1 ग में दिया गया है।

(ग) प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का विवरण अनुबंध-II क से II घ में दिया गया है।

(घ) और (ङ) मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों, चारा बैंकों तथा पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के माध्यम से कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग ने नलगोंडा सहित तेलंगाना के सभी जिलों में और देश भर में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) राष्ट्रीय गोकुल मिशन के राष्ट्रव्यापी एआई कार्यक्रम के घटक के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएँ किसानों के द्वार पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तेलंगाना राज्य में अब तक 32.44 लाख पशुओं को कवर किया गया है, 42.37 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया है और 16.65 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। नलगोंडा जिले में अब तक 1.84 लाख पशुओं को कवर किया गया है, 2.43 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया है और 1.20 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ii) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत तेलंगाना सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खुरपका-मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस जैसे पशु रोगों के नियंत्रण के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा डेयरी पशुओं सहित पशुधन के अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को सहायता भी प्रदान की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार किसानों के द्वार पर रोग निदान, उपचार, टीकाकरण, लघु शल्य चिकित्सा, दृश्य-श्रव्य सहायक उपकरण और विस्तार सेवाओं सहित पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (MVUs) की स्थापना को सहायता दे रही है। अब तक, देश भर में 4019 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ कार्यरत हैं और 96.86 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और 2.01 करोड़ पशुओं का उपचार किया गया है। तेलंगाना राज्य मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना के घटक में भाग नहीं ले रहा है।

(iii) देश में गुणवत्तापूर्ण चारे की कमी को दूर करने और इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए , तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चारा बैंकों की स्थापना करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, पशुआहार और चारा विकास संबंधी एक उप-मिशन के साथ राष्ट्रीय पशुधन मिशन को कार्यान्वित कर रहा है। पशु आहार और चारे के उप-मिशन में निम्नलिखित कार्यकलाप हैं: (i) गुणवत्ता वाले चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता। (ii) पशु आहार और चारे में उद्यमशीलता के कार्यकलाप। (iii) चारा बीज प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए उद्यमियों की स्थापना (प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाई / चारा बीज भंडारण गोदाम)। (iv) गैर-वन बंजर भूमि / रेंज भूमि / गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन और (v) वन भूमि से चारा उत्पादन।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) केंद्रीय क्षेत्र योजना "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन" को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में 100 मुख्य रूप से चारा केंद्रित एफपीओ का गठन और संवर्धन कर रहा है ।

आईसीएआर- भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (IGFRI- झांसी) ने तेलंगाना सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए चारा संसाधन विकास योजनाएं विकसित की हैं, जिनमें क्षेत्र में हरे और सूखे चारे की कमी को दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली क्षेत्र-विशिष्ट रणनीति शामिल है और साथ ही राज्य सरकार तथा पशुधन संबंधी नीति और नियोजन में शामिल अन्य एजेंसियों के लिए एक निष्पादन योग्य योजना भी प्रदान करना है।

अनुबंध-। क

पिछले 3 वर्षों के दौरान आरजीएम के तहत जारी निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं .	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एनडीडीबी	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
1	आंध्र प्रदेश	1546	3538.38	3184.16
2	अरुणाचल प्रदेश	467.16	1965.31	0
3	असम	3658.19	723.25	2163.34
4	बिहार	4928.63	0.00	0
5	छत्तीसगढ	402	0.00	0
6	गोवा	0	0.00	0
7	गुजरात	2222.82	6542.58	2071.85
8	हरियाणा	1173.66	0.00	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0
10	जम्मू और कश्मीर	2539.35	0.00	6119.52
11	झारखंड	1500	0.00	1500
12	कर्नाटक	3562.48	2651.31	0
13	केरल	1284.12	6546.27	3697.74
14	मध्य प्रदेश	9049.51	4903	0
15	महाराष्ट्र	0	3261.5	1444.56
16	मणिपुर	166.69	0.00	0
17	मेघालय	0	0.00	0
18	मिजोरम	138.69	847.37	0
19	नागालैंड	608.86	466.2	0
20	ओडिशा	1374.25	0.00	1671.06
21	पंजाब	232	0.00	0
22	राजस्थान	250	250	0
23	सिक्किम	572.42	1097.87	0
24	तमिलनाडु	3347	10996.1	0
25	तेलंगाना	0	3153.13	0
26	त्रिपुरा	0	0.00	0
27	उत्तर प्रदेश	7671.25	9642.18	0
28	उत्तराखंड	1885.75	6083	0
29	पश्चिम बंगाल	2037.35	6500	0
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0
34	लक्षद्वीप	**0**	**0**	**0**
35	लद्दाख	0	0.00	42
36	पुदुचेरी	0	0.00	213.41
37	एनडीडीबी	8893.76	16782.6	32256.9

अनुबंध I ख

पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के अंतर्गत जारी निधियों का राज्यवार विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	6009.28	1260.00	786.50
2	बिहार	0.00	0.00	0.00
3	छत्तीसगढ	0.00	75.00	50.00
4	गोवा	0.00	0.00	0.00
5	गुजरात	0.00	155.00	100.00
6	हरियाणा	0.00	407.50	975.00
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
9	झारखंड	0.00	64.00	0.00
10	कर्नाटक	0.00	250.00	725.00
11	केरल	0.00	0.00	50.00
12	मध्य प्रदेश	0.00	350.00	500.00
13	महाराष्ट्र	0.00	65.00	30.00
14	ओडिशा	446.00	0.00	250.00
15	पंजाब	369.66	0.00	0.00
16	राजस्थान	0.00	0.00	100.00
17	तमिलनाडु	0.00	0.00	150.00
18	तेलंगाना	0.00	0.00	50.00
19	उत्तर प्रदेश	0.00	100.00	771.00
20	उत्तराखंड	0.00	198.48	306.25
21	पश्चिम बंगाल	296.63	0.00	200.00
22	अरुणाचल प्रदेश	261.85	473.70	181.25
23	असम	0.00	0.00	0.00
24	मणिपुर	0.00	0.00	170.30
25	मेघालय	0.00	0.00	0.00
26	मिजोरम	0.00	201.99	0.00
27	नागालैंड	0.00	50.00	193.90
28	सिक्किम	93.21	93.21	0.00
29	त्रिपुरा	0.00	183.47	0.00
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
31	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
34	जम्मू और कश्मीर	675.35	0.00	250.00
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
36	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00
37	लद्दाख	308.295	0.00	27.50

अनुबंध। ग

पिछले 3 वर्षों में पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत आवंटित निधियों का राज्यवार विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	80.00	0.00	84.50
2	आंध्र प्रदेश	1376.05	8534.26	7605.85
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	621.28	654.25
4	असम	558.47	2299.69	4696.50
5	बिहार	895.66	266.48	5481.63
6	चंडीगढ़	0.00	2.77	7.82
7	छत्तीसगढ	158.80	621.51	3488.98
8	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
9	गोवा	0.00	78.11	94.56
10	गुजरात	0.00	5.80	1558.05
11	हरियाणा	2754.15	2203.77	5314.55
12	हिमाचल प्रदेश	0.00	236.49	1405.67
13	जम्मू और कश्मीर	0.00	1099.81	1185.75
14	झारखंड	240.00	850.36	1796.97
15	कर्नाटक	532.04	2255.78	1900.00
16	केरल	466.15	5038.76	4677.62
17	लद्दाख	86.97	383.95	883.04
18	लक्षद्वीप	0.00	45.23	166.16
19	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	2381.47
20	महाराष्ट्र	352.73	11243.90	9232.00
21	मणिपुर	0.00	877.94	2518.57
22	मेघालय	314.01	271.32	660.01
23	मिजोरम	0.00	138.53	517.41
24	नागालैंड	135.34	268.09	340.77
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	101.13	84.51
26	ओडिशा	0.00	318.10	1240.09
27	पुदुचेरी	48.00	11.48	48.52
28	पंजाब	0.00	0.00	397.93
29	राजस्थान	0.00	635.11	5968.58
30	सिक्किम	232.57	251.07	312.61
31	तमिलनाडु	0.00	644.51	2259.60
32	तेलंगाना	0.00	0.00	400.00
33	त्रिपुरा	0.00	59.76	573.37
34	उत्तर प्रदेश	7339.84	19259.84	15076.02
35	उत्तराखंड	535.10	1998.69	1957.16
36	पश्चिम बंगाल	670.00	3639.00	4034.63

अनुबंध-II क

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में लाभान्वित किसानों का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम		
		शामिल पशु	किए गए एआई	लाभान्वित किसान
1	आंध्र प्रदेश	7271593	13534121	3385494
2	अरुणाचल प्रदेश	3896	4553	1808
3	असम	1728956	2259202	1469462
4	बिहार	3939394	5426332	2699120
5	छत्तीसगढ	1899186	2555961	1136298
6	गोवा	25869	43346	8741
7	गुजरात	5851560	9414998	3472009
8	हरियाणा	616051	888738	447974
9	हिमाचल प्रदेश	1826836	2984525	1333501
10	जम्मू और कश्मीर	2378443	4258437	1610132
11	झारखंड	2687916	3606125	1820869
12	कर्नाटक	8316189	16365745	5213640
13	लद्दाख	7409	9374	6049
14	मध्य प्रदेश	7897299	9691938	4677115
15	महाराष्ट्र	5657630	7673491	3660588
16	मणिपुर	27786	32608	16248
17	मेघालय	51326	85953	16630
18	मिजोरम	8712	12650	3989
19	नागालैंड	41209	53282	16966
20	ओडिशा	4918641	6635012	3074382
21	पंजाब	1195739	1896192	636970
22	राजस्थान	5952426	7869493	4138417
23	सिक्किम	43868	54931	33777
24	तमिलनाडु	5043636	8532152	2338501
25	तेलंगाना	3244563	4237569	1665755
26	त्रिपुरा	248420	333665	209181
27	उत्तर प्रदेश	14015463	22167599	7892528
28	उत्तराखंड	1511187	2447353	1064152
29	पश्चिम बंगाल	5218518	8166218	3437398
कुल		**91629721**	**141241563**	**55487694**

अनुबंध-II ख

एनएलएम-ईडीपी (NLM-EDP) के तहत राज्यवार लाभान्वित किसान

राज्य	कुल प्रभावित किसान
आंध्र प्रदेश	1673
अरुणाचल प्रदेश	273
असम	7015
बिहार	52
छत्तीसगढ	1647
गुजरात	42
हरियाणा	210
हिमाचल प्रदेश	152
जम्मू और कश्मीर	194
झारखंड	50
कर्नाटक	13833
केरल	3976
मध्य प्रदेश	15470
महाराष्ट्र	11054
मणिपुर	12
मिजोरम	1523
नागालैंड	1343
ओडिशा	121
पुदुचेरी	0
पंजाब	213
राजस्थान	1572
सिक्किम	34
तमिलनाडु	3441
तेलंगाना	3076
त्रिपुरा	224
उत्तर प्रदेश	6918
उत्तराखंड	6325
पश्चिम बंगाल	1704
कुल योग	**82147**

अनुबंध- II ग

एमवीयू (MVUs) के माध्यम से द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	राज्य	चल रही एमवीयू की संख्या	द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	340	20,49,550
2	अरुणाचल प्रदेश	25	43,318
3	असम	159	2,61,511
4	बिहार	307	2,33,072
5	छत्तीसगढ	163	6,09,605
6	दिल्ली	3	187
7	गोवा	2	602
8	गुजरात	127	4,50,369
9	हरियाणा	70	47,903
10	हिमाचल प्रदेश	44	17,549
11	जम्मू और कश्मीर	50	26,737
12	झारखंड	236	66,525
13	कर्नाटक	275	3,86,714
14	केरल	29	22,556
15	लद्दाख	9	1,649
16	मध्य प्रदेश	406	8,55,434
17	महाराष्ट्र	80	1,01,080
18	मणिपुर	33	9,127
19	मेघालय	17	308
20	मिजोरम	26	35,765
21	नागालैंड	16	18,347
22	पुदुचेरी	4	2,084
23	राजस्थान	536	9,05,948
24	सिक्किम	6	3,546
25	तमिलनाडु	245	3,42,676
26	त्रिपुरा	13	5,678
27	उत्तर प्रदेश	520	30,40,776
28	उत्तराखंड	60	1,42,245
29	पश्चिम बंगाल	218	5,489
	कुल	**4019**	**96,86,350**

अनुबंध- II घ

एएचआईडीएफ (AHIDF) के तहत लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित परियोजनाएं	प्रत्यक्ष रोजगार	अप्रत्यक्ष रोजगार/ लाभान्वित किसान
1	आंध्र प्रदेश	18	2,291	1,20,761
2	असम	7	781	11,083
3	बिहार	6	1,706	56,678
4	छत्तीसगढ	9	2,166	24,886
5	दिल्ली	1	75	-
6	गुजरात	18	2,396	26,129
7	हरियाणा	23	1,743	98,374
8	हिमाचल प्रदेश	4	331	3,281
9	जम्मू और कश्मीर	3	26	826
10	झारखंड	8	491	34,109
11	कर्नाटक	28	2,858	87,683
12	केरल	4	167	16,998
13	मध्य प्रदेश	21	3,459	1,05,485
14	महाराष्ट्र	71	6,587	10,05,935
15	ओडिशा	14	1,027	37,467
16	पुदुचेरी	1	15	544
17	पंजाब	29	3,488	95,679
18	राजस्थान	17	1,440	73,213
19	तमिलनाडु	35	4,161	3,58,745
20	तेलंगाना	19	2,226	48,221
21	उत्तर प्रदेश	33	4,159	2,21,092
22	उत्तराखंड	2	114	2,359
23	पश्चिम बंगाल	31	1,665	91,146
कुल योग		**402**	**43,372**	**25,20,693**